

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क्र० 427 / 12
संस्थापन दिनांक: 17 / 09 / 12
फाईलिंग नं. 233504000292012

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा थाना प्रभारी,
थाना-आमला जिला- बैतूलअभियोजन

विरुद्ध.

सहादेव पिता जयराम गायकी, उम्र 55 वर्ष
निवासी-लालावाड़ी, थाना आमला,
जिला बैतूल अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 09/08/2016 को घोषित।)

1- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 16.02.2012 को समय करीब 18:50 बजे स्थान थाना आमला से 10 किमी. पूर्व ग्राम लालावाड़ी स्थित अपने रिहायशी मकान में एक प्लास्टिक की कुप्पी में 5 लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब रखी।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण की विशिष्टियाँ विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया पूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में दिनांक 16.09.2012 को नगर निरीक्षक आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लालावाड़ी में अभियुक्त सहादेव अपने घर के पीछे अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बेचने की गरज से रखे हुआ है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के ग्राम लालावाड़ी अभियुक्त के घर पहुंचा जहां अभियुक्त अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब लिये मिला जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं अभियुक्त से एक प्लास्टिक की कुप्पी में भरी हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब पांच लीटर गवाहों के समक्ष जप्त की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा थाना वापस आकर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 299/12 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4— अभियुक्त को धारा 34(1)क आबकारी अधि० के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त का सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया।

5— प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :—

क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.02.2012 को समय करीब 18:50 बजे स्थान थाना आमला से 10 किमी. पूर्व ग्राम लालावाड़ी स्थित अपने रिहायशी मकान में एक प्लास्टिक की कुप्पी में 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ की कच्ची शराब रखी ?

: : विचारणीय प्रश्न का निराकरण : :

6— अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्त्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये 500/— रु० (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जाये।

7— प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व, मेरे निर्देशन पर टंकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया। मुद्रित किया गया।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

